कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी–17–18/आर.आर./2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा श्री मोहन राम मण्डा, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) तत्कालीन अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कुचामन सिटी, नागौर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग स्वयं के सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–विक्रमपुरा, बिजोलिया, भीलवाडा पदस्थापित किया गया था जहां पर श्री मोहन राम द्वारा दिनांक 02.02.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री मोहन राम द्वारा काउन्सलिंग दिनांक 18.01.2018 को नागौर जिले में सभी रिक्तियों को प्रदर्शित नहीं किये जाने और विवश होकर राउमावि–विक्रमपुरा, बिजौलिया हेतु अपनी सहमति देने का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3197/2018 दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 14.02.2018 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन को माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 10232/2016 श्रीमती रूपलता मीणा बनाम सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए 4 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिका संख्या 3197/2018 के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में याचिकार्थी श्री मोहन राम मण्डा द्वारा अपना पदस्थापन नागौर जिले में राउमावि–मिठडी, नावा अथवा राउमावि–गुणावती, मकराना, नागौर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी की काउन्सलिंग वरिष्ठतानुसार की गई थी और उनके द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान का चयन विकल्प प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से किया गया था। काउन्सलिंग के दौरान रिक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से पदौन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या जो भी कम हो, के बराबर पदौन्नत प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है। इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए **याचिकार्थी श्री मोहन राम मण्डा, प्रधानाचार्य राउमावि– विक्रमपुरा, बिजौलिया, भीलवाडा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मोहन राम/याचिका–3197/2018 दिनांकः 17.04.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उप निदेशक
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा भीलवाडा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)